संख्या:- 08/2021/749/13(2)/2007-का-1-2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2021**

विषय- राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति द्वारा अप्राप्त/अनुपलब्ध/ब्लैंक प्रविष्टियों के कारण विचारण को आस्थगित(Abeyance) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु 'मेरिट' आधारित चयनों में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-4/2019/13(2)2007/का-1-2019 दिनांक 27 सितम्बर 2019 के प्रस्तर-7 में अंकात्मक बेंचमार्क निश्चित करते हुए मूल्यांकन आदि की प्रक्रिया के संबंध में सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त/व्यवस्था निर्धारित की गयी है। उक्त प्रस्तर-7 के उपप्रस्तर-8 में यह व्यवस्था दी गयी है कि 48 माह से अधिक की प्रविष्टियॉ पूर्ण न होने की दशा में, चयन आस्थगित किया जायेगा। इस प्रकार सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त/व्यवस्था के अनुसार पदोन्नति पर विचारण करते समय विभागीय चयन समिति (Departmental promotion committee) द्वारा 120 माह (10 वर्ष) में 72 माह से अधिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के पूर्ण होने पर ही पात्रता सूची में शामिल अधिकारियों का वर्गीकरण किया जाता है। अन्यथा स्थिति में चयन को आस्थगित किया जाता है।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यमान सामान्य व्यवस्था के अतिरिक्त 10 वर्षों की प्रविष्टियों के आधार पर वर्गीकरण करते समय यह अवश्य देखा जाये कि अंतिम 05 वर्षों में 36 माह की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टिया अवश्य पूर्ण हो। अन्यथा की दशा में पदोन्नति पर विचारण करते समय सामान्यतया विचारण को आस्थगित (Abeyance)रखा जाये।

कृपया उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 08/2021/749(2)/13(2)/2007/का-1/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ।
2. अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।